# झारखण्ड विधान सभा

## अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान– सभा
पंचदश (बजट) सत्र
वर्ग– 05

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 11 फाल्गुन, 1945 [श0] / 01 मार्च, 2024 [ई0] को

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

| क्र0सं0– | विभागों को भेजी गई सां0सं0 | सदस्यों का नाम | संक्षिप्त विषय | संबंधित विभाग | विभागों को भेजी गई तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06 |
| 101– | अ0सू0– 14 | श्री अमित कुमार यादव | स्थायीकरण करना। | स्वास्थ्य चि0शि0 एवं परिवार कल्याण | 22.02.2024 |
| 102– | अ0सू0– 10 | श्री समीर कुमार मोहन्ती | बीमा योजना का लाभ देना। | स्वास्थ्य चि0शि0 एवं परिवार कल्याण | 21.02.2024 |
| 103– | अ0सू0– 20 | श्री सरयू राय | निबन्धन रद्द करना। | राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार | 25.02.2024 |
| 104– | अ0सू0– 18 | श्री संजीव सरदार | दोषियों को दंडित करना। | उत्पाद एवं मद्य निषेद्य | 25.02.2024 |
| 105– | अ0सू0– 03 | श्री लोबिन हेम्ब्रम | कार्रवाई करना। | राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार | 18.02.2024 |
| 106– | अ0सू0– 21 | श्री नारायण दास | निरस्त करना। | विधि | 25.02.2024 |
| 107– | अ0सू0– 06 | श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा | प्रशिक्षण देना। | श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास | 18.02.2024 |
| 108– | अ0सू0– 04 | डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता | पढ़ाई की व्यवस्था। | स्वास्थ्य चि0शि0 एवं परिवार कल्याण | 18.02.2024 |

नोट - 106. अ0सू0-21- विधि विभाग के ज्ञापांक - 496, दिनांक-27.02.24 के द्वारा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में स्थानांतरित।

| 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109— | अ0सू0— 12 | श्री मनीष जायसवाल | कार्रवाई करना। | स्वास्थ्य चि0शि0 एवं परिवार कल्याण | 22.02.2024 |
| 110— | अ0सू0— 02 | श्री नवीन जायसवाल | आश्रय गृह चालु करना। | स्वास्थ्य चि0शि0 एवं परिवार कल्याण | 18.02.2024 |
| 111— | अ0सू0— 17 | श्री राजेश कच्छप | उच्चस्तरीय जाँच कराना। | राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार | 25.02.2024 |
| 112— | अ0सू0— 22 | श्री अनन्त कुमार ओझा | ईलाज उपलब्ध कराना। | स्वास्थ्य चि0शि0 एवं परिवार कल्याण | 25.02.2024 |
| 113— | अ0सू0— 15 | श्री प्रदीप यादव | निःशुल्क जाँच कराना। | स्वास्थ्य चि0शि0 एवं परिवार कल्याण | 22.02.2024 |
| 114— | अ0सू0— 11 | श्री प्रदीप यादव | मानदेय दिलाना। | श्रम, नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास | 22.02.2024 |
| 115— | अ0सू0— 23 | श्री नारायण दास | अस्पताल का निर्माण | स्वास्थ्य चि0शि0 एवं परिवार कल्याण | 25.02.2024 |
| 116— | अ0सू0— 09 | श्री जय प्रकाश भाई पटेल | वाहन उपलब्ध कराना। | उत्पाद एवं मद्य निषेद्य | 20.02.2024 |
| 117— | अ0सू0— 13 | श्री राज सिन्हा | पदस्थापन कराना। | स्वास्थ्य चि0शि0 एवं परिवार कल्याण | 22.02.2024 |
| 118— | अ0सू0— 19 | श्री सरयू राय | मुकदमा चलाना। | स्वास्थ्य चि0शि0 एवं परिवार कल्याण | 25.02.2024 |
| 119— | अ0सू0— 16 | श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की | कमिटी का गठन। | राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार | 24.02.2024 |
| 120— | अ0सू0— 08 | श्री ढुलू महतो | राशि निर्गत कराना। | स्वास्थ्य चि0शि0 एवं परिवार कल्याण | 19.02.2024 |
| 121— | अ0सू0— 07 | श्री ढुलू महतो | मान्यता देना। | स्वास्थ्य चि0शि0 एवं परिवार कल्याण | 19.02.2024 |

कृ0पृ0उ0—

| 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 122— | अ0सू0— 05 | श्री अनन्त कुमार ओझा | शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ कराना। | स्वास्थ्य चि0शि0 एवं परिवार कल्याण | 18.02.2024 |
| 123— | अ0सू0— 01 | श्री बिरंची नारायण | नामांकन कराना। | स्वास्थ्य चि0शि0 एवं परिवार कल्याण | 18.02.2024 |

राँची,
दिनांक— 01 मार्च, 2024 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या— प्रश्न— 06/2020.....2952...../वि0स0, रांची, दिनांक—27/02/24

प्रतिः— झारखण्ड विधान—सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय नेता प्रतिपक्ष/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

27/2/24
(सरोज कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या— प्रश्न— 06/2020.....2952...../वि0स0, रांची, दिनांक—27/02/24

प्रतिः— मा0 अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

27/2/24
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या— प्रश्न— 06/2020.....2952...../वि0स0, रांची, दिनांक—27/02/24

प्रतिः— कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं बेवसाईट शाखा/ऑनलाईन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

27/2/24
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान—सभा, राँची।

सुभाष

26/02/2024

(101)

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.03.2024 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०स०–14 का उत्तर प्रतिवेदन।

| क्र०सं० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है, झारखण्ड राज्य में अनुबंध के आधार पर ए0एन0एम0 जी0एन0एम0 लैब अस्सिटेंट एक्स–रे टेक्निशियन सहिया दीदी, पोषण सखी फार्माशिष्ट के करीब 2000 कर्मी विभाग में 10 वर्षो से अधिक समय से कार्यरत है; | स्वीकारात्मक।<br>राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड अंतर्गत ए०एन०एम०, जी०एन०एम०, लैब टेक्निशियन, लैब अस्सिटेंट, एक्स–रे टेक्निशियन एवं फार्माशिष्ट अनुबंध के आधार पर कार्यरत हैं।<br>राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड अंतर्गत कुल 39,964 ग्रामीण सहिया दीदी एवं 2500 शहरी सहिया दीदी है। सहिया दीदी एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता है, जिसका चयन/मनोनयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। सहिया दीदी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य गतिविधि के लिए कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है।<br>पोषण सखी का प्रावधान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड अंतर्गत नहीं है। |
| 2 | क्या यह बात सही है, कि उपरोक्त कर्मियों की सेवा संतोषप्रद एवं सराहनीय है; | स्वीकारात्मक। |
| 2 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित कर्मियों का स्थायीकरणकरना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो? | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसके स्वरूप में बदलाव भारत सरकार के परामर्श से संभव है।<br>वर्तमान में यह प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। |

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक : 21/वि0स0–06–04/2024 – 30 (21) स्वा0 राँची, दिनांक– 29/02/2024.

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय राँची को उनके ज्ञाप सं0–2842/वि0स0 रॉची, दिनांक–22.02.2024 के क्रम में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.2.2024

सरकार के अवर सचिव

(102)

श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.03.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0-10 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

| क्र0सं0 | प्रश्न | उत्तर प्रतिवेदन |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि राज्य कर्मियों/सेवानिवृत्त कर्मियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने एवं इस पर होनेवाले व्यय की प्रतिपूर्ति से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या-185(13) दिनांक 31.07.2023 निर्गत किया गया था, जिसमें निहित प्रावधान अनुसार राज्य के कर्मियों/सेवानिवृत्त कर्मियों तथा परिवार के उन पर आश्रित सदस्यों को सम्मिलित रूप रू0 5 लाख प्रति वर्ष की अधिसीमा के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाना है; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि वर्णित योजना में भागीदारी हेतु विभाग द्वारा सूचना निर्गत करने के पश्चात् उद्धत कर्मियों द्वारा संबंधित पोर्टल पर निर्देशित प्रक्रिया के तहत् आवेदन करने के बावजूद आज तक उक्त योजना के लाभ से वंचित है; | स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने के क्रम में बीमा कम्पनी का चयन प्रक्रियाधीन है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित संकल्प के प्रावधानानुसार निर्धारित कर्मियों को कबतक नियमानुसार स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने का विचार रखती है हाँ तो कब तक, नही तो क्यों? | उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। |

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः-13/वि0स0-07-03/2024 48 (13) स्वा0/राँची/दिनांकः- 27/02/2024

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0-2760 वि0स0 दिनांक-21.02.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.02.24
सरकार के उप सचिव।

(103)

13/नि० (विधान सभा) 01/2024.....409/नि०

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.03.24 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–20 का उत्तर सामग्री।

| क्र० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | **श्री सरयू राय,**<br>**मा०स०वि०स०** | **श्री हफीजुल हसन**<br>**माननीय मंत्री, निबंधन विभाग,**<br>**झारखण्ड, रांची।** |
| 1. | क्या यह बात सही है की पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने पत्रांक–2162, दिनांक–29.12.2022 द्वारा सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 में निबंधित जमशेदपुर की संस्था "सूर्य मंदिर समिति" का निबंधन रद्द करने एवं संस्था के विरूद्ध जाँच करने के लिए निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड से अनुशंसा की है; | **स्वीकारात्मक।** |
| 2. | क्या यह बात सही है कि संस्था द्वारा कारण पृच्छा का जवाब देने के उपरांत राज्य के निबंधन महानिरीक्षक ने इस मामले की जाँच के लिए बिहार संस्था नियमावली (झारखण्ड द्वारा अंगीकृत) के नियम–12 के तहत कार्यालय आदेश संख्या–295, दिनांक–27.09.2023 द्वारा एक त्रि–सदस्यीय समिति गठित की है, जिसमें उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम का एक प्रतिनिधि भी शामिल है; | **स्वीकारात्मक।** |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बतायेगी कि जाँच के फलाफल के अनुरूप संस्था का निबंधन रद्द करने के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ? | इस संबंध में विभागीय पत्रांक–295, दिनांक–27.09.2023 द्वारा श्री संतोष कुमार, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, श्री सुजीत कुमार, निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा तथा उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के प्रतिनिधि को सम्मिलित करते हुए त्रि–सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जा चुका है एवं उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम से प्रतिनिधि नामित करते हुए इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा चुका है। पुनः विभागीय पत्रांक–332, दिनांक–17.11.2023 के माध्यम से भी उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को जांच हेतु प्रतिनिधि उपलब्ध कराते हुए इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। पुनः विभागीय पत्रांक–406, दिनांक–26.02.2024 के माध्यम से उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को अविलम्ब प्रतिनिधि नियुक्त कर इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। साथ ही विभागीय ज्ञापांक–406, दिनांक–26.02.2024 के माध्यम से श्री संतोष कुमार, सहायक निबंधन महानिरीक्षक एवं श्री सुजीत कुमार, निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा, जो जांच समिति के सदस्य है, को निदेशित किया गया है कि एक सप्ताह के अंदर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम से संपर्क स्थापित कर उपायुक्त के प्रतिनिधि को नामित करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अविलम्ब जांच पूर्ण कर विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। |

P.T.O

ज्ञापांक :– 13/नि॰ (विधान सभा) 01/2024 409/नि0 राँची, दिनांकः... 28/2/24

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2710,दिनांक–25.02.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ (दो सौ प्रति के साथ) प्रेषित।

28-2-24
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 13/नि॰ (विधान सभा) 01/2024 409/नि0 राँची, दिनांकः... 28/2/24

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री, निबंधन विभाग के आप्त सचिव, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28-2-24
सरकार के अवर सचिव

Assembly Que 01-03-2024 Copy

Sonu

श्री संजीव सरदार, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0श0–18 का उत्तर

| क्र0 | प्रश्नकर्त्ता– श्री संजीव सरदार, माननीय स0वि0स0 | उत्तरदाता–माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम में JSBCL द्वारा राज्य सरकार के अनुज्ञप्ति प्रदत्त विदेशी शराब दुकान संचालित है; | – स्वीकारात्मक।<br>"झारखण्ड उत्पाद (झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022" के कंडिका– 24 (ii) के तहत प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से किया जा रहा है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित दुकानों वेबेल टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा Man Power Supply के तहत 75 प्रतिशत से अधिक दूसरे राज्य के लोग नियुक्त कर लिये गये है तथा ये लोग फर्जीवाड़ा कर जिला नियोजनालय से निबंधित हुए है जो बेहद गंभीर विषय है; | – अस्वीकारात्मक।<br>"झारखण्ड उत्पाद (झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022" के कंडिका– 25 (iii) के अनुसार खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के लिए संचालन कर्मचारी (दुकान प्रभारी/दुकान सहायक) आदि के चयन के लिए निम्नवत समिति गठित की जाती है–<br>(a) उपायुक्त द्वारा नामित अपर समाहर्त्ता से अन्यून कोई पदाधिकारी– अध्यक्ष।<br>(b) अपर पुलिस अधीक्षक/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी –सदस्य।<br>(c) जिला रोजगार अधिकारी – सदस्य।<br>(d) श्रम अधिकारी – सदस्य।<br>(e) सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद–सदस्य, सचिव। (उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग)<br>उक्त सभी समितियाँ जिला के उपायुक्त के द्वारा गठित की जायेंगी। उक्त समिति के द्वारा ही दुकान प्रभारी/दुकान सहायक का चयन का प्रावधान है। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित नियोजन में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 75 प्रतिशत स्थानीय बेरोजगारों की नियोजन में सुनिश्चिता को दरकिनार कर दिया गया है; | –अस्वीकारात्मक।<br>कंडिका– 2 का उत्तर में स्पष्ट की गई है। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, क्या सरकार बाहरी लोगों. की नियुक्ति को रोक कर स्थानीय बेरोजगारों को राज्य नीतिगत निर्णयानुसार नियुक्त करने तथा फर्जीवाड़े में शामिल, दोषियों को दंडित करने का विचार रखती हैं, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | –अस्वीकारात्मक। |

झारखंड सरकार
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

ज्ञापांक–04/विधायी–04–04/2024– 417 रॉची दिनांक– 28/02/2024

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय के ज्ञाप सं0 प्र.–2915/वि0स0 दिनांक –25.02.2024 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.2.24

सरकार के संयुक्त सचिव

105

श्री लोबिन हेम्ब्रम, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–01.03.2024 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–03 का प्रश्नोत्तर :–

| क्र. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | श्री लोबिन हेम्ब्रम,<br>माननीय स०वि०स० | माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची। |
| 1 | क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के राजमहल अनुमंडल अन्तर्गत हस्तांतरणीय मौजाधीन ABROZINAL LAND उसी परगणा का कोई ABROZINAL TENANT की खरीद करने का पात्र होगा ; | स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 मे वर्णित अनुमंडल में अधिकारी एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से हस्तांतरणीय मौजा की ABROZINAL TENANT की भूमि को NON ABROZINAL को विधि विरूद्ध हस्तांतरित करते हुए पंजी–II NON ABROZINAL के नाम संधारित कर खाता खोल दिया गया है जो अत्यंत गंभीर मामला के साथ साथ Merursion Survey Settlement Report, Gangel Survey Settlement एवं SPT Act के प्रावधानों की घोर उल्लंघन है ; | अस्वीकारात्मक।<br>उपायुक्त, साहेबगंज के प्रतिवेदन पत्रांक–126/रा0, दिनांक–26.02.204 के अनुसार ऐसा मामला राजमहल अनुमण्डल अन्तर्गत अंचलों से प्रतिवेदित नही है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2 में अपनाई गई गंभीर अनियमितताओं पर संज्ञान लेने व सुधार करने तथा खंड–1 में वर्णित विषय पर अमल करने के साथ ही दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | अनियमितता प्रतिवेदित होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। |

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 6/विधानसभा (साहेबगंज)–59/2024–669/रा0, दिनांक–29-02-2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2632/वि0स0, दिनांक–18.02.2024 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/02/24

सरकार के अवर सचिव।

G:\Kanha Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx(Hema)

106

माननीय स0वि0स0 श्री नारायण दास द्वारा आगामी विधानसभा में दिनांक–01.03.2024 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–21 का उत्तर प्रतिवेदन :–

| प्रश्न संख्या | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि राज्य मे किसी मामले से संबंधित नियमावली के होते हुए उक्त नियमावली से संबंधित नई नियमावली के गठन के बाद पूर्व में संचालित नियमावली स्वतः समाप्त हो जाती है तथा राज्य में वर्ष 2018 में सरकार द्वारा The Law Officer (Engangement) Rules का गठन किया गया है, जिसके कंडिका 5 (i) (e) अन्तर्गत सरकार को राज्य के व्यवहार न्यायालयों में विशेष अभियोजको की नियुक्ति सर्च कमिटि के माध्यम से करने का प्रावधान है ; | The Law Officer (Engangement) Rules, 2018 की उप नियम–15(ii) में प्रावधानित है कि– "इस नियम के तहत विधि अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में विभिन्न नियमों में निहित प्रावधानों में पूरक बनाया जाएगा।" इससे स्पष्ट है कि यह नियम एक पूरक नियम है तथा इसी के उप नियम–5 में विशेष लोक अभियोजक के नियुक्ति का प्रावधान है। उक्त नियमावली में वर्णित प्रावधान के आलोक में सर्च कमिटी द्वारा अनुशंसित नाम पर विचार करते हुए सलेक्शन कमिटी द्वारा चयन के उपरान्त गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नियुक्ति किया जाता है। |
| 2 | क्य यह बात सही है कि वर्णित Rules के गठन के बावजूद राज्य के सभी व्यवहार न्यायालयों में गृह विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा नियम विरूद्ध विधि विभाग, झारखण्ड के पूर्व के अधिसूचना संख्या–1160, दिनांक–23.05.2003 के आलोक में अभियोजन सेवा के अभियोजकों को NDPS ACT का विशेष लोक अभियोजक का प्रभार दिया गया है ; | न्यायिक कार्यो के सुचारू रूप से संचालन हेतु अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों को पदभिहित किया गया है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित Rules का कठोरतापूर्वक अनुपालन करते हुए राज्य में गृह विभाग द्वारा अभियोजकों को दी गई प्रभार को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | उपर्युक्त कंडिक–01 एवं 02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। |

झारखण्ड सरकार,

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–06 / वि0स0–13–03 / 2024–1228 / राँची, दिनांक– 28/02/2024 ई0।

**प्रतिलिपि**– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2913, दिनांक–25.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/2/24

सरकार के अवर सचिव।

107

**श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–01.03.2024 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–06 का उत्तर सामग्री।**

276
23/02/2024

| क्र0 | **प्रश्नकर्त्ता**<br>**श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा,**<br>माननीय सदस्य, विधान सभा। | **उत्तरदाता**<br>**श्री सत्यानन्द भोक्ता**<br>माननीय मंत्री,<br>श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,<br>झारखण्ड सरकार। |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है, कि राज्य के नक्सल समस्या को समाप्त करने के लिए युवाओं के कौशल विकास पर जोर देने का निर्णय लिया है; | **स्वीकारात्मक** |
| 2 | क्या यह बात सही है, कि सरकार ने 16 नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं के कौशल विकास के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण के विस्तार की योजना प्रारंभ की है; | वाम उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं के कौशल विकास के योजनान्तर्गत झारखण्ड राज्य के वाम उग्रवाद प्रभावित 16 जिलों में अवस्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना विभागीय संकल्प संख्या–1765 दिनांक–18.11.2022 द्वारा की गयी है। |
| 3 | क्या यह बात सही है, कि 16 जिलों में आई0टी0आई0 का निर्माण एवं पाँच ट्रेड में प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है; | **स्वीकारात्मक** |
| 4 | क्या यह बात सही है, कि खुँटी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कर्रा में आई0टी0आई0 भवन बन कर तैयार है, लेकिन उसका संचालन नहीं हो रहा है; | खूँटी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कर्रा (खूँटी) में सत्र 2021–23 से नामांकन ली जा रही है। |
| 5 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार 16 जिलों में आई0टी0आई0 में छात्रों का नामांकन एवं प्रशिक्षण देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | वाम उग्रवाद प्रभावित .16 जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आधारभूत संरचना एवं प्रशिक्षण अधिकारियों की कमी के कारण आंशिक व्यवसायों में प्रशिक्षण दी जा रही है। प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा संचालन की गयी है। उक्त आयोग द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत पूर्णतः प्रशिक्षण दी जाएगी। |

23/02/2024

**(गणेश कुमार)**
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

**झारखण्ड सरकार**
**श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग**

**ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–02 / 2024श्र0नि0–** 276 **राँची, दिनांक–** 23/02/2024

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–2627, दिनांक–18.02.2024 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/02/2024

**सरकार के अवर सचिव।**

(108)

डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा0स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–04 की सूचना का उत्तर प्रतिवेदन।

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य में अवस्थित चिकित्सा महाविद्यालयों में फेफडे से संबंधित रोगों के लिए पल्मोनरी मेडिसीन (Pulmonary Medicine) की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है, कि पूरे देश के 40 प्रतिशत खनिज का हिस्सा झारखण्ड राज्य में अवस्थित होने से खनन क्षेत्रों में जुडें लोगों के श्वॉस एवं फेफडों से संबंधित गंभीर रोगों से ग्रसित होने की समस्या बहुतायत में पायी जाती है; | आंशिक स्वीकारात्मक। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि श्वॉस से संबंधित कोविड–19 जैसी वैश्विक जानलेवा महामारी से जूझते वक्त राज्य में विशेषज्ञ विभागों के होने से अधिक से अधिक ग्रसितों का बचाव किया जा सकता था। | कोविड–19 महामारी के दौरान राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास मरीजों को बचाने के लिए किया गया है। |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में फेफडों से संबंधित रोगों के लिए पल्मोनरी मेडिसीन की पढ़ाई की व्यवस्था अनिवार्य रूप से कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ? | पल्मोनरी मेडिसीन की पढ़ाई की व्यवस्था तत्काल प्रस्तावित नहीं है। |

**झारखण्ड सरकार**

**स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग**

ज्ञाप सं0 : 09/विधायी/06–04/2024 84(09) स्वा0 राँची, दिनांक– 26/02/2024

प्रतिलिपि :

1. अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2626 वि0स0, दिनांक 18.02.2024 के अनुपालन में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. विशेष सचिव, प्रभारी प्रशाखा–17, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/24

सरकार के अवर सचिव।

(109)

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2024 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–12 का उत्तर प्रतिवेदन।

| क्र0सं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है, राज्य में "झारखण्ड मेडिकल एंड हेल्थ इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कोर्पोरिशन लिमिटेड" की ओर से एंटी रेबीज वैक्सी की दर 226.80 रूपये प्रति वॉयल की दर निर्धारि की गई थी; | स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग, रामगढ, कोडरमा, लोहरदगा, गढवा, देवघर, गिरिडीह सहित राज्य के अन्य जिलों में 34 से 94 रूपये अधिक राशि पर सिविल सर्जनों द्वारा की गई है जबकि राज्य के सभी सिविल सर्जनों को उक्त वैक्सीन के दर निर्धारण की सूचना दे दी गई थी; | JMHIDPCL अपने क्रय के उद्देश्यों से निविदा प्रकाशित कर रैबीज वैक्सीन की दर निर्धारित करती है, उक्त दर पर जिलावार रैबीज वैक्सीन की आपूर्ति करने हेतु आपूर्तिकर्ता को निर्गत क्रयादेश की प्रति जिलों को भेजती है, ताकि जिलो को निगम की माध्यम से प्राप्त होने वाली रैबीज वैक्सीन की जानकारी रहे, साथ ही निगम अपने Drugs and Vaccine Distribution Management System (DVDMS) पर भी उक्त क्रयादेश को अपलोड करती है जो जिलों को स्वतः परिलक्षित होती है।<br>परन्तु निगम द्वारा जिलों को उक्त निर्धारित दर पर क्रय करने का अलग से कोई निदेश नहीं दिया जाता है।<br>एण्टी रैबीज वैक्सीन एसेन्सीयल एवं लाईव सेविग वैक्सीन है और राज्य के विभिन्न जिलों को इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश है, जिसके आलोक में जिलास्तर से एण्टी रैबीज वैक्सीन की आवश्यकता अनुसार निविदा/ई० निविदा/जेम पोर्टल के माध्यम से नियमानुसार निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए न्युनतम दर पर क्रय की जाती है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्यहित में खण्ड–02 में वर्णित अनियमितता की जाँच कराकर संम्बंधित दोषी सिविल सर्जनों पर कठोर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों? | निहित प्रक्रिया द्वारा किये गए एण्टी रैबीज वैक्सीन का क्रय वित्तीय अनियमितता का द्योतक नहीं है। |

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक : 21/वि0स0–06–03/2024 – 29(21) स्वा0 राँची, दिनांक– 29/02/2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय राँची को उनके ज्ञाप सं0–2794/वि0स0 रॉची, दिनांक–22.02.2024 के क्रम में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.2.24

सरकार के अवर सचिव

(110)

श्री नवीन जायसवाल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.03.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-02 का उत्तर प्रतिवेदन।

| क्र0सं0 | प्रश्न | उत्तर प्रतिवेदन |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि रिम्स में पावर ग्रिड के सहयोग से 310 बेड का आश्रय गृह काफी दिनों से बन कर तैयार है परन्तु विभाग के लापरवाही एवं हैण्डओवर नहीं होने के कारण अभी तक चालू नहीं किया गया है, | पावर ग्रिड के सहयोग से रिम्स, राँची में एक आश्रय गृह का निर्माण किया गया है। भवन हस्तांतरण हेतु रिम्स, अधीक्षक द्वारा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लिमिटेड, बिहार पटना से पत्राचार किया गया है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि इस 5 मंजिला आश्रय गृह का निर्माण मरीजों के परिजनों को सस्ते दर पर रहने एवं भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराने के मकसद से कराया गया है परन्तु आश्रम गृह चालू नहीं होने के कारण मरीजों के परिजनों को इनका लाभ नहीं मिल रहा है, | पावर ग्रिड द्वारा विश्राम सदन (आश्रय गृह) के हस्तांतरण पश्चात मरीजों के परीजनों को इसका लाभ प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रिम्स में तैयार आश्रम गृह को जल्द से जल्द चालू कर मरीजों के परिजनों को इसका लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों? | उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। |

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः-11/रिम्स-वि0स0-05-01/2024 39 (11) स्वा0/राँची/दिनांकः- 23/02/2024

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0-2625 वि0स0 दिनांक-18.02.2024 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/02/24

सरकार के अवर सचिव।

112

**श्री अनन्त कुमार ओझा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-01.03.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-22 का उत्तर प्रतिवेदन**

| प्रश्न | उत्तर प्रतिवेदन |
|---|---|
| 1. क्या यह बात सही है कि राज्य मुख्यालय स्थित राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची के न्यूरो सर्जरी विभाग में चिकित्सकों की कमी, न्यूरो सर्जरी विभाग अंतर्गत सी-आर्म मशीन खराब हो जाने के कारण राज्य के गरीब वर्ग यथा आयुष्मान योजना के लाभुक को सर्जरी कराने में कठिनाई का सामना पड़ रहा है। | अंशतः स्वीकारात्मक।<br>वर्त्तमान में रिम्य के न्यूरो सर्जरी विभाग में कुल 04 वरीय चिकित्सक (फैकल्टी) कार्यरत है एवं 16 वरीय रेजिडेन्ट कार्यरत है। न्यूरो सर्जरी विभाग में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है।<br>रिम्स, राँची मे अधिष्ठापित सी-आर्म मशीन की मरम्मति करा दी गई है एवं सम्प्रति मशीन क्रियाशील है। |
| 2. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित संस्थान में अत्याधुनिक मशीन का अधिष्ठापन कर राज्य के आयुष्मान कार्ड धारियों को समुचित ईलाज उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ? | नई सी-आर्म मशीन के क्रय हेतु रिम्स, प्रबंधन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है एवं मशीन क्रय का कार्य प्रक्रियाधीन है। |

**झारखण्ड सरकार**

**स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग**

ज्ञापांक-11/रिम्स (वि0स0)-05-03/2024 43(11) दिनांक- 29.02.2024

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0-2912/वि0स0 दिनांक-25.02.2024 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/2/24 29/02/24

सरकार के अवर सचिव

113

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.03.2024 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-15 का उत्तर प्रतिवेदन।

| क्र0सं0 | प्रश्न | उत्तर प्रतिवेदन |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि रिम्स में रेडियोलॉजी विभाग में 20 साल पुरानी मशीन एक साल से खराब रहने के कारण MRI जाँच बंद है; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि रिम्स प्रबंधन द्वारा 4 बार टेंडर निकाले जाने के बाद भी 3 बार एक ही बिडर ने रूचि दिखाई, जिसके कारण निष्पादन नहीं हो पाया ; | स्वीकारात्मक।<br>संस्थान हेतु MRI मशीन का क्रय, विभिन्न तकनीकी कारणों से निविदा के निष्पादन नहीं होने के फलस्वरूप संभव नहीं हो सका है। |
| 3. | क्या यह बात सही है, 70 से 80% भर्ती मरीज आयुष्मान कार्डधारी होते हैं और निःशुल्क MRI जाँच नहीं होने पर बाहर से मोटी रकम देकर जाँच कराना पड़ रहा है; | अंशतः स्वीकारात्मक।<br>संस्थान में स्वयं का कार्यशील मशीन नहीं होने के कारण संस्थान अन्तर्गत पी0पी0पी0 मोड पर संचालित हेल्थ मैप जाँच सेन्टर के द्वारा आयुष्मान भारत योजना से आच्छादित मरीजों के निःशुल्क MRI जाँच हेतु कार्रवाई की जा रही है। |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब निःशुल्क MRI जाँच कराने की वैकल्पिक व्यवस्था शुरू करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों? | 1. मरीज हित में, तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् रिम्स, राँची अन्तर्गत PPP मोड पर संचालित हेल्थमैप जाँच सेन्टर में आयुष्मान भारत अथवा विभिन्न निःशुल्क चिकित्सा योजनाओं से आच्छादित मरीजों को MRI जाँच करने के निमित्त आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।<br>2. संस्थान द्वारा नयें MRI मशीन के क्रय में सहयोग करने हेतु जेम के उच्च अधिकारियों के साथ वार्ता की जा रही है। |

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः-11/रिम्स-वि0स0-05-02/2024 42(11) स्वा0/राँची/दिनांकः- 29/2/2024

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0-2841 वि0स0 दिनांक-22.02.2024 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/02/24

सरकार के अवर सचिव।

(114)

**श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–01.03.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–11 का उत्तर सामग्री।**

307
27/02/2024

| क्र0 | **प्रश्नकर्त्ता**<br>**श्री प्रदीप यादव,**<br>माननीय सदस्य, विधान सभा। | **उत्तरदाता**<br>**श्री सत्यानन्द भोक्ता**<br>माननीय मंत्री,<br>श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,<br>झारखण्ड सरकार। |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है, कि अडानी पावर प्लांट लिमिटेड, गोड्डा द्वारा राज्य में लागू निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को 75% नियोजन सुनिश्चित करने का प्रावधान का अनुपालन नहीं किया जा रहा है; | **अस्वीकारात्मक।**<br>"झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 एवं नियमावली, 2022 संपूर्ण झारखण्ड राज्य में 12 सितम्बर, 2022 से प्रभावी है।" इसके कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा झारनियोजन पोर्टल (www.jharniyojan.jharkhand.gov.in) स्थापित किया गया है।<br>• "झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021" के अनुपालन में अडानी पावार प्लांट लिमिटेड, गोड्डा द्वारा दिनांक–05.11.2022 को निबंधन कराया गया। जिसमें कुल 174 कर्मी कार्यरत है एवं उनके अधीन रू0 40,000 हजार से कम वेतन पाने वाले कर्मियों की संख्या–09 है, जिसमें 08 स्थानीय एवं 01 गैर स्थानीय है, जो 75% से अधिक है।<br>• अडानी पवार प्लांट लिमिटेड, गोड्डा के कुल 29 संवेदकों का निबंधन कराया गया है, जिसमें वर्तमान में 17 संवेदक ही कार्यरत है, इनमें कुल 1494 मानवबल की ऑनलाईन इन्ट्री झारनियोजन पोर्टल पर की जा चुकी है, जिसमें कुल 1146 स्थानीय कर्मियों का आवासीय प्रमाण–पत्र अपलोड किया गया है।<br>विदित हो कि अधिनियम के अनुपालन हेतु गठित नियमावली में प्रावधान है कि विद्यमान नियोक्ता, विद्यमान मानव बल, नियोजित स्थानीय उम्मीदवारों की संख्या के सभी विवरणों को प्रस्तुत करेगा। उक्त अधिनियम के अनुसार यदि मानव बल में कमी हो, तो प्राधिकृत अधिकारी को नियम के प्रारंभ की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अंदर विहित प्रपत्र में न्यूनतम 75% स्थानीय नियोजन के मानदण्ड को पूरा करने हेतु अधिनियम के अनुपालन में प्रस्तावित कार्य योजना है, जो इन नियमों के प्रारंभ की तिथि से तीन वर्षो से अधिक न हो, की समय सीमा के साथ प्रस्तुत करेगा। |
| 2 | क्या यह बात सही है, कि अडानी पावर प्लांट लिमिटेड, गोड्डा में कार्यरत स्थानीय कर्मियों को सरकार द्वारा कामगारों के लिए निर्धारित मानेदय से भी काफी कम राशि का भुगतान किया जा रहा है; | **अस्वीकारात्मक।**<br>मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड, राँची के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संबंधित कारखाने में कार्यरत स्थायी/अस्थायी कर्मियों को सरकार द्वारा निर्धारित मानेदय का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाता है तथा कम भुगतान से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। |

| | | |
|---|---|---|
| | | श्रम अधीक्षक का कार्यालय, गोड्डा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अडानी पावर प्लांट लि॰ टेड, गोड्डा के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों को सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय से कम मानदेय प्राप्त होने से संबंधित किसी तरह की शिकायत कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है तथा निरीक्षण के क्रम में भी ऐसा कोई दृष्टांत नहीं पाया गया है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अडानी पावर प्लांट कम्पनी में 75% स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन सुनिश्चित करने एवं कर्मियों को सरकार द्वारा निर्धारित मानेदय/मजदूरी दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | वस्तुस्थिति कंडिका–1 एवं 2 में स्पष्ट कर दी गयी है। |

27/2/24

(रेज्युस बाढ़)
सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

**झारखण्ड सरकार**
**श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग**

ज्ञापांक–02/श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–10/2024श्र0नि0–307 राँची, दिनांक– 27/02/2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–2793, दिनांक–22.02.2024 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/2/24

सरकार के उप सचिव।

(115)

**श्री नारायण दास, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–01.03.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–23 का उत्तर सामग्री।** 319 28/02/2024

| क्र0 | **प्रश्नकर्त्ता**<br>**श्री नारायण दास,**<br>माननीय सदस्य, विधान सभा। | **उत्तरदाता**<br>**श्री सत्यानन्द भोक्ता**<br>माननीय मंत्री,<br>श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,<br>झारखण्ड सरकार। |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है, कि देवघर जिला के मोहनपुर प्रखण्ड अंतर्गत 100 बेड वाले ई0एस0आई0 हॉस्पीटल (Employees State Insurance Hospital) के निर्माण हेतु स्थानीय आमजन द्वारा विर्गत 10 वर्षो से मांग की जा रही है; | देवघर जिला में 100 बेड वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का निर्माण हेतु कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित है। |
| 2 | यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ई0एस0आई0 अस्पताल (Employees State Insurance Hospital) का निर्माण कराने हेतु 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराते हुए अस्पताल का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | प्रस्तावित अस्पताल के लिए उपायुक्त, देवघर द्वारा प्रस्तावित 5 एकड़ भूमि में से नारायणपुर मौजा में 3.5 एकड़ भूमि चिन्हित किया गया है। निगम द्वारा गठित भूमि चयन समिति के द्वारा उक्त भूमि को अस्पताल निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। पुनः उक्त भूमि का स्थल निरीक्षण कर Map Plan उपलब्ध कराने का अनुरोध निगम कार्यालय से किया गया है, ताकि महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली को अस्पताल निर्माण की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया जा सके। |

2532 28/2/24

(रेज्युस बाढ़)
सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

**झारखण्ड सरकार**
**श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग**
**ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–12 / 2024श्र0नि0–** 319 **राँची, दिनांक–** 28/02/2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–2911, दिनांक–25.02.2024 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2532 28/2/24

**सरकार के उप सचिव।**

116

श्री जयप्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–09 का उत्तर

| क्र0 | प्रश्नकर्त्ता– श्री जयप्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0 | उत्तरदाता–माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में शराब के अवैध कारोबारियों के विरूद्ध छापामारी एवं अन्य आवश्यक कार्यो के निष्पादन एवं नियंत्रण हेतु पर्याप्त मात्र में बल एवं पदाधिकारियों के साथ–साथ वाहन की भी आवश्यकता होती है; | –स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान समय में अधिकांश वाहन पुरानी एवं जर्जर अवस्था में है तथा पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों का घोर अभाव है, जिससे राजस्व की क्षति हो रही है और विभाग के सभी कार्य प्रभावित हो रही है; | – आंशिक स्वीकारात्मक।<br>– उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत कुल उपलब्ध वाहनों की संख्या–57 है, जिसमें 37 वाहन चालू एवं शेष 20 जर्जर अवस्था में हैं। विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी 24 जिलों उत्पाद कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से आवश्यकतानुसार वाहन का प्रयोग किया जा रहा है, जिसका भुगतान झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0 द्वारा किया जाता है।<br>– चालू वित्तीय वर्ष–2023–24 के लिए निर्धारित वार्षिक राजस्व संग्रहण लक्ष्य ₹2360 करोड़ के विरूद्ध माह जनवरी, 2024 तक ₹1941 करोड़ की राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति हुई है, जो माह जनवरी, 2024 के लक्ष्य का 102.82% तथा कुल वार्षिक राजस्व लक्ष्य का 82.24% है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत मानव संसाधन बल एवं वाहनों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता नहीं होने के बावजूद सीमित संसाधनों के आधार पर निर्धारित राजस्व लक्ष्य की शत्–प्रतिशत की प्राप्ति हेतु विभाग कृत संकल्पित है। |
| 2 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति एवं पुराने वाहन के स्थान पर नया वाहन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | –सम्प्रति उत्पाद सिपाही के 583 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।<br>– निरीक्षक उत्पाद के 3 पदों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रक्रियाधीन है।<br>– 35 सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद एवं 38 अवर निरीक्षक उत्पाद के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु अधियाचना हेतु सक्षम प्राधिकार को भेजी जा चुकी है।<br>–सम्प्रति नये वाहनों के क्रय हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। |

झारखंड सरकार
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

ज्ञापांक–04/विधायी–04–03/2024– 397 / राँची दिनांक– 27/02/2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय के ज्ञाप सं0 प्र.–2728/वि0स0 दिनांक –20.02.2024 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.2.24

सरकार के संयुक्त सचिव

(15)

## श्री राज सिन्हा, माननीय सदस्य झारखंड विधान सभा द्वारा दिनांक–01.02.2024 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०– 13 का उत्तर प्रतिवेदन।

| क्र० सं० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है, कि एस०एन० एम० सी०एच०, धनबाद परिसर में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज–3 के तहत 169 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल भवन बनकर तैयार है और इसमें हृदय रोगियों के इलाज के लिए मशीन–उपकरणों की सुविधा के साथ कैथलेव बनाया गया है परन्तु हृदय रोग विशेषज्ञ चिकित्सको सहित अन्य कर्मियों की नियुक्ति नहीं किये जाने से इसका लाभ रोगियों को नहीं मिल रहा है ; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एस०एन०एम०सी०एच०, धनबाद में हृदय रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित अन्य सहयोगी कर्मियों की नियुक्ति या पदस्थापन कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ? | राज्य सरकार के अधीन संचालित शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, धनबाद परिसर में नवनिर्मित सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का संचालन हेतु विभागीय पत्रांक–536(9) दिनांक–23.11.2022 द्वारा कार्डियोलॉजी सहित विभिन्न विभागों के लिए कुल–31 (एकतीस) पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्थायी नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखंड लोक सेवा आयोग को प्रेषित है।<br>इस बीच संविदा के आधार पर भी विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु दो बार विज्ञापन प्रकाशित की गई, परन्तु संविदा पर नियुक्ति हेतु विशेषज्ञ चिकित्सक उपस्थित नहीं हुए। इस प्रकार एस०एन०एम०सी०एच०, धनबाद में विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं अन्य आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। |

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक : 09 / विधायी / 06–05 / 2024 87(09) राँची, दिनांक– 27/02/2024 /

**प्रतिलिपि** : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2843 / वि०स० दिनांक–22.02.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/02/24

(विश्वनाथ सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

(118)

श्री सरयू राय, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–01.03.2024 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–19 का प्रश्नोत्तरः–

| क्र० सं० | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि ज्ञापांकः–18/आरोप–01–52/2023–414 (18) स्वा०/18.12.2023 द्वारा पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जन डॉ0–जुझार मांझी पर विभागीय कार्रवाई चल रही है जो पूर्व जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ0 रेणुका चौधरी मामले से संबंधित है; | वस्तु स्थिति यह है कि श्री सी0पी0 सिंह, माननीय स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–17.03.2023 को पूछे गये अल्प–सूचित प्रश्न सं0–41 के उत्तर सामग्री में पूर्व जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ0 रेणुका चौधरी से संबंधित मामला W.P.(C)No.4970 of 2016 माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में लंबित रहने की सूचना एवं तथ्य आधारित प्रतिवेदन को समावेश नहीं करने के कारण डॉ0 जुझार मांझी, सिविल सर्जन, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदुपर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि त्रि–सदस्यीय विभागीय समिति ने जिन दस्तावेजों की जाँचकर डॉ0 रेणुका चौधरी की लंबी सेवा अनुपस्थिति रहकर एवं पंजिका में फर्जी हस्ताक्षर बनाने के मामले में दोषी पाया है, वे दस्तावेज गायब हैं और जिस लिपिक की अभिरक्षा में थे, उसकी हत्या हो गई; | वस्तुस्थिति यह है कि अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं अन्य आरोपों के लिए संचालित विभागीय कार्यवाही में विभागीय अधिसूचना सं0–592(18) दिनांक–02.12.2016 द्वारा डॉ0 रेणुका चौधरी के विरूद्व निम्न दंड अधिरोपित किया गया है:–<br>1. दिनांक–01.09.1995 से दिनांक 07.05.2001 तक की अवधि सेवा में टूट।<br>2. दिनांक–08.05.2001 से दिनांक–17.01.2006 तक की अवधि सेवा में टूट।<br>3. डॉ0 चौधरी की सेवा असंतोषजनक होने के कारण शत प्रतिशत पेंशन की राशि की कटौती।<br>उक्त दण्ड के विरूद्व डॉ0 रेणुका चौधरी के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में याचिका संख्या W.P.(C) No. 4970 of 2016 दायर किया गया है जो संम्प्रति न्यायालय में लंबित है।<br>जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक–87 दिनांक–04.03.2023 के अनुसार 2006 से दिसम्बर 2011 तक के चिकित्सकों की उपस्थिति पंजी एवं OPD रजिस्टर स्व0 संजय कुमार तिवारी, लिपिक, जिला यक्ष्मा केन्द्र, जमशेदपुर के अभिरक्षा में थी, जिन्होंने दिनांक–28.03.2022 को फांसी लगाकर अत्महत्या कर ली है। इस संबंध में साकची थाना काण्ड यू0डी0केस सं0–4/22 दिनांक–28.03.2022 दर्ज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा अपने मंतव्य में फांसी लगने के कारण दम घुटने से मृत्यु होना बताया गया है। गायब पंजियों के संबंध में जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदुपर द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं कराया गया है। |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | क्या यह बात सही है कि जिस अवधि में डॉ0 चौधरी अनुपस्थित रही उस अवधि का वेतन उनसे नहीं वसूला गया है; | दिनांक–18.01.2006 से 30.04.2011 तक फर्जी तरीके से उपस्थिति दर्ज कर वेतन निकासी करने के मामले में संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है। डॉ0 चौधरी द्वारा अपने कर्त्तव्य अवधि में ही उक्त अवधि का वेतन प्राप्त किया गया है तथा सेवा टूट अवधि दिनांक–01.09.1995 से 07.05.2001 तक एवं दिनांक–08.05.2001 से 17.06.2006 तक का वेतन डॉ0 चौधरी को भुगतान नहीं हुआ है। |
| 4 | यदि उपर्युक्त कंडिकाओं के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार डॉ0 जुझार मांझी को आरोप मुक्त करने, डॉ0 रेणुका चौधरी से अनुपस्थित अवधि का वेतन वसूलने, उनपर फर्जी हस्ताक्षर का मुकदमा चलाने और लिपिक की हत्या का दस्तावेज गायब करने वालों पर मुकदमा चलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | डॉ0 जुझार मांझी के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही सम्प्रति विभागीय जाँच पदाधिकारी के स्तर पर लंबित है।<br>डॉ0 रेणुका चौधरी द्वारा उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका WP(C) No. 4970/2016 में आदेश पारित होने के बाद तद्नुसार कार्रवाई की जा सकेगी। |

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–03 / वि0स0–08–02 / 2024 69(18) दिनांकः– 29.02.2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2914 दिनांक–25.02.2024 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/02/2024

(मनोज कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

श्री दुलू महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.03.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0-08 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

| क्र0सं0 | प्रश्न | उत्तर प्रतिवेदन |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य असाध्य बीमारी सहायता निधि से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई जाती है; | पूर्व में झारखण्ड राज्य असाध्य बीमारी सहायता निधि से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। विभागीय संकल्प 184(13) दिनांक 17.07.2015 द्वारा इस योजना का नाम बदलकर "मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना" रखा गया। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत् विभागीय संकल्प 190(13)03.08.2023 द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के समस्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित प्रत्येक परिवार तथा वैसे व्यक्तियों जिनकी सकल वार्षिक आय लगातार तीन वर्षो तक 08 (आठ) लाख रू0 से कम है तथा एसिड अटैक से पीड़ित (आय की बाध्यता नही), को झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी द्वारा चिकित्सा अनुदान स्वीकृति का प्रावधान है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि उक्त निधि से 5 लाख रूपये का प्रावधान था, जिसे राज्य सरकार द्वारा बढ़ाकर 10 लाख रूपये करने की घोषणा की गयी है; | मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत् विभागीय संकल्प 190(13)03.08.2023 द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के समस्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित प्रत्येक परिवार तथा वैसे व्यक्तियों जिनकी सकल वार्षिक आय लगातार तीन वर्षो तक 08 (आठ) लाख रू0 से कम है तथा एसिड अटैक से पीड़ित (आय की बाध्यता नही), को झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी से 05 लाख तथा 05 लाख से अधिक अधिकतम 10 लाख रू के मामले में माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति तथा 10 लाख से अधिक के मामलों में मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति प्राप्त कर अनुदान स्वीकृति का प्रावधान है। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि पूर्व में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदन के उपरान्त जिला द्वारा ही राशि निर्गत कर दी जाती थी, जो अब स्वास्थ्य निदेशालय राँची द्वारा किया जा रहा है जिससे | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत पूर्व में जिला स्तर से 05 लाख रू0 तक का चिकित्सीय अनुदान स्वीकृत करने का प्रावधान था। 05 लाख से अधिक के मामले में विभाग स्तर पर तथा 10 लाख से अधिक के मामलों |

| | | |
|---|---|---|
| | पीड़ित व्यक्तियों को परेशानी और विलम्ब का सामना करना पड़ रहा है; | में मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति का प्रावधान था। परन्तु विभागीय संकल्प-190(13) दिनांक 03.08.2023 के निर्गत के पश्चात् झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी से 05 लाख तथा 05 लाख से अधिक अधिकतम 10 लाख रू के मामले में माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति तथा 10 लाख से अधिक के मामलों में मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति प्राप्त कर अनुदान स्वीकृति का प्रावधान है। |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार असाध्य बीमारी सहायता निधि की राशि जिला द्वारा ही निर्गत करने का विचार रखती है हाँ तो कब तक, नही तो क्यों? | उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। |

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः-13/वि0स0-07-02/2024 51 (13) स्वा0/राँची/दिनांकः- 28/2/2024

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0-2693 वि0स0 दिनांक-19.02.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.02.24

सरकार के उप सचिव।

(121)

**श्री ढुलू महतो, मा0स0 विधानसभा द्वारा दिनांक 01.03.2024 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या 07 का उत्तर प्रतिवेदन।**

| क्र0सं0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि इलेक्ट्रोहोमियोपैथी चिकित्सा काफी प्राचीन चिकित्सा व्यवस्था है; | इलेक्ट्रोहोमियोपैथी चिकित्सा 19वीं सदी की चिकित्सा पद्धति है। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि इलेक्ट्रोहोमियोपैथी चिकित्सा काफी सरल, सस्ता एवं कारगर चिकित्सा पद्धति है; | झारखण्ड प्रदेश में इलेक्ट्रोहोमियोपैथी चिकित्सा की मान्यता झारखण्ड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद्, राँची से प्राप्त नहीं है। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में इलेक्ट्रोहोमियोपैथी चिकित्सा मान्यता प्राप्त है जबकि झारखण्ड प्रदेश में मान्यता के अभाव में यहाँ के निवासी इस चिकित्सा सुविधा से वंचित है; | हाँ, झारखण्ड प्रदेश में इलेक्ट्रोहोमियोपैथी चिकित्सा की मान्यता झारखण्ड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद्, राँची में प्राप्त नहीं है। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार झारखण्ड में इलेक्ट्रोहोमियोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ? | इलेक्ट्रोहोमियोपैथी चिकित्सा पद्धति की मान्यता आयुष मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त नहीं है, फलस्वरूप झारखण्ड में इसकी मान्यता विचारणीय नहीं है। |

**झारखण्ड सरकार**

**स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,**

ज्ञापांक–20/आयुष वि0स0–01/2024 54 (20) स्वा/राँची, दिनांक 23.02.2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2694/वि0स0 दिनांक 19.02.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/2/24

सरकार के संयुक्त सचिव।

**श्री अनन्त कुमार ओझा, मा0स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–05 की सूचना का उत्तर प्रतिवेदन।**

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है, कि साहेबगंज जिला राज्य मुख्यालय व दुमका प्रमण्डल प्रक्षेत्र के सुदूरवर्ती क्षेत्र में अवस्थित है, जो सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ा क्षेत्र है और यह केन्द्र सरकार की आकांक्षी जिले में भी सम्मिलित है; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है, कि साहेबगंज जिला उच्चतर व चिकित्सीय शिक्षा क्षेत्र में बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, वहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना व चिकित्सीय पढ़ाई व्यवस्था प्रारंभ करने की मॉग विगत 10 वर्षों से की जाती रही है तथा संथाल परगना प्रमण्डलीय प्रक्षेत्र अंतर्गत सुदूरवर्ती जिला के उच्चतर व चिकित्सीय पठन–पाठन व्यवस्था के साथ राज्य सहित स्थानीय आमजन भी चिकित्सीय सुविधा से लाभान्वित होंगे; | स्वीकारात्मक। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार साहेबगंज में मेडिकल महाविद्यालय (Medical College) अविलम्ब स्थापित कर चिकित्सीय शिक्षण व्यवस्था प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ? | साहेबगंज जिला में नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त है। उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा चिन्हित प्रस्तावित भूमि आरक्षित वन घोषित है। उक्त भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु भारत सरकार की सहमति आवश्यक है। विभागीय पत्रांक 33(09) दिनांक 06.02.2024 द्वारा उपायुक्त साहेबगंज को प्रस्तावित भूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिए भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है। |

**झारखण्ड सरकार**
**स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग**

ज्ञाप सं0 : 09/विधायी/06–03/2024 73(09) स्वा0 राँची, दिनांक– 23/02/2024

प्रतिलिपि :

1. अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञापांक–2623 वि0स0, दिनांक 18.02.2024 के अनुपालन में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. विशेष सचिव, प्रभारी प्रशाखा–17, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/2/24

सरकार के अवर सचिव।

(123)

श्री बिरंची नारायण, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 01.03.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0-01 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

| क्र0सं0 | प्रश्न | उत्तर प्रतिवेदन |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि बोकारो सहित राज्यभर में पिछले जुलाई, 2023 से मुख्यमंत्री गंभीर रोग उपचार योजना का एमओयू (MOU) समाप्त हो गया है, और तब से नई-नई समय-सीमा दी जा रही है, और इस कारण से नए अस्पतालों का नामांकन भी बंद है; | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत् पूर्व से सूचीबद्ध संस्थानों का MOU विस्तार विभागीय आदेश सं0-271(13) दिनांक 08.11.2023 द्वारा दिनांक 31.12.2023 तक किया गया है। उक्त योजना के तहत MOU विस्तार एवं नया MOU प्रक्रियाधीन है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि इस कारण पिछले 07 महीने से राज्य के गंभीर रोगों से ग्रसित नवजात और अन्य मरीज और उनके अभिवावक काफी परेशान है, और किसी प्रकार कर्ज, इत्यादि लेकर और अपनी संमत्ति बिक्री कर ईलाज करवाने को मजबूर है, क्योंकि सरकार पुराने एमओयू (MOU) के तहत् गंभीर बीमारी जैसे बॉन-मेरो, ट्रांसप्लांट, इत्यादि का ईलाज करने में सक्षम नये अस्पतालों का नामांकन नहीं कर रही है, और न ही नया एमओयू (MOU) जारी कर रही है; | मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत् विभागीय संकल्प 190(13), दिनांक 03.08.2023 के निर्गत होने के उपरान्त अबतक कुल 167 लाभुकों को गंभीर बीमारी कैंसर, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट एवं अन्य चिन्हित बीमारियों के लिए ईलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है।<br>उक्त संकल्प के तहत् अस्पतालों को आवश्यकतानुसार सूचीबद्ध करने की कार्रवाई झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया है इच्छुक चिकित्सा संस्थानों द्वारा सूचीबद्ध करने हेतु आवेदन प्राप्त होने पर झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में इसी वित्तीय वर्ष में गंभीर बीमारी जैसे बॉन-मेरो ट्रांसप्लांट, इत्यादि से ग्रसित रोगियों का ईलाज करने हेतु उक्त योजना नया एमओयू (MOU) करने या पुराने एमओयू (MOU) के अन्तर्गत ही सक्षम नए अस्पतालों का नामांकन कराने का विचार रखती है हाँ तो कब तक, नही तो क्यों? | उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। |

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः-13/वि0स0-07-01/2024 55 (13) स्वा0/राँची/दिनांकः- 29/2/2024

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0-2624 वि0स0 दिनांक-18.02.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.02.24

सरकार के उप सचिव।